

आम सूचना

दैनिक प्रातःकाल
 दिनांक: 11/10/23 पृष्ठ सं. 9

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट <https://jda.rajasthan.gov.in> एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	प्लॉट सं.	ग. नि.स.स.सि./योजना का नाम	आवेदक
01	7	सी-11	जविप्रा की योजना वैशाली नगर, भू- उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु	श्रीमती युवनेश्वरी चौहान पत्नी श्री भवानी सिंह
02	7	295, 280	नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गौम डिफेन्स कॉलोनी, भू- उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु	श्रीमती राशि गोठवाल पत्नी श्री अनिल गोठवाल एवं श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द
03	11	D-46	सहकारी समिति की योजना अशोक विहार डी, मुहाना, सांगानेर, जयपुर, लीजडीड हेतु	श्री विनीत खण्डेलवाल पुत्र श्री राम किशोर खण्डेलवाल
04	12		भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बजरंग विहार-तृतीय मे स्थित भूखण्डधारियों की सूची- ए-ब्लॉक: ए-25, ए-27, ए-30, ए-34, ए-35, ए-36ए, ए-37, ए-38, ए-42, ए-43, ए-44 एवी, ए-48, ए-48 ए, ए-49, ए-68 First, ए-67, ए-70 ए, ए-73 ए, ए-76, ए-79, ए-81, ए-35 ए, ए-83, ए-44, ए-45, ए-62, ए-20 बी, बी-ब्लॉक: बी-04, बी-06, बी-10, बी-11, बी-12, बी-13, बी-14 ए, बी-18, बी-19 ए, बी-20 बी, बी-20 डी, बी-23 ए, बी-25 ए, बी-25 सी, बी-25 डी, बी-25 ई, बी-25 एफ, बी-26, बी-26 ए, बी-26 डी, बी-27, बी-28, बी-41, बी-41 ए, बी-44 ए, बी-45, बी-46, बी-56, बी-58, बी-59, बी-60, बी-61, बी-69, बी-70, बी-73, बी-77 ए, बी-57, बी-09, बी-85, बी-29, बी-65, बी-68, बी-14 ए, सी-ब्लॉक: सी-1, सी-2, सी-3, सी-4, सी-4ए, सी-4 बी, सी-5, सी-6, सी-8, सी-10, सी-10 बी, सी-11, सी-12, सी-13, सी-14, सी-15, सी-15 ए, सी-24, सी-28, सी-17 प्रथम, सी-16, सी-17, सी-09, सी-10 ए, डी-ब्लॉक: डी-1ए, डी-1बी, डी-1सी, डी-2, डी-2बी, डी-03, डी-10बी, डी-15, डी-17, डी-18, डी-20, डी-20 बी, डी-20एबी, डी-21, डी-2, डी-2बी, डी-03, डी-10बी, डी-15, डी-17, डी-18, डी-20, डी-20 बी, डी-20एबी, डी-21, डी-27, डी-31, डी-32, डी-33, डी-33ए, डी-34, डी-35, डी-36, डी-36ए, डी-37, डी-40ए, डी-41, डी-44, डी-44ए, डी-45, डी-53, डी-54, डी-55, डी-56, डी-57, डी-58, डी-59, डी-60, डी-61, डी-62, डी-63, डी-64, डी-10ए, डी-13, ई-ब्लॉक: ई-3, ई-4, ई-05, ई-7, ई-7 Second, ई-7First, ई-11, ई-12, ई-13, ई-13ए, ई-16, ई-17, ई-17ए, ई-18, ई-19, ई-20, ई-20ए, ई-21, ई-21, ई-22 ए, ई-23, ई-24, ई-25, ई-26, ई-28ए, ई-29, ई-30, ई-34, ई-35, ई-35ए, ई-36, ई-37, ई-38ए, ई-39, ई-40, ई-41, ई-42, ई-43, ई-44, ई-45, ई-46, ई-47, ई-48, ई-51, ई-52, ई-53, ई-54, ई-55, ई-56, ई-57, ई-58, ई-59, ई-60, ई-61, ई-62, ई-62ए, ई-63, ई-64, ई-67, ई-68, ई-68ए, ई-70बी, ई-70, ई-72, ई-72ए, ई-73, ई-74, ई-74ए, ई-75, ई-76, ई-77, ई-79, ई-79ए, ई-80, ई-81, ई-86, ई-87, ई-88, ई-89, ई-92, ई-93, ई-95, ई-96, ई-97, ई-98, ई-100, ई-101, ई-102, ई-106, ई-108, ई-110, ई-111, ई-112, ई-113, ई-114, ई-85, ई-27, ई-69, ई-106, ई-22, ई-90, ई-49, ई-14, ई-49 ए, ई-21ए, एफ-ब्लॉक: एफ-2ए, एफ-3, एफ-4, एफ-5, एफ-6, एफ-12, एफ-11, एफ-1 एवं एफ-2, जी-ब्लॉक: जी-8, जी-8, जी-9, जी-13, जी-15, जी-16, जी-20, जी-22, जी-23, जी-24, जी-25, जी-26, जी-27, जी-28ए, जी-30, जी-31, जी-35, एच-ब्लॉक: एच-02, एच-06, एच-07, एच-01, डुकान: 41/42, 43/44, 49/50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 76, 82, 87, 88, 89, 93, 102, 121, 122, 142, 82, 38, 47, 48, 65, 66, 45, 46	

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-9035 दिनांक: 29.09.2023
 जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 167 रकबा 0.60 हेक्टेयर में से रकबा 0.341 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 179 रकबा 0.59 हेक्टेयर में से 0.2534 हेक्टेयर कुल किता-2 कुल रकबा 1.19 हेक्टेयर में से प्रभावित रकबा 0.2875 हेक्टेयर भूमि 60 मीटर सेक्टर रोड हेतु खातेदार / खातेदारों श्री बाबूलाल, सीताराम पुत्रान स्व. श्री गोगाराम निवासी ढाणी कुंघवाली, पोस्ट भांकरोटा, वार्ड नम्बर-65, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण स्व. श्री गोगाराम निवासी ढाणी कुंघवाली, पोस्ट भांकरोटा, वार्ड नम्बर-65, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
 समी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/बाद-विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-12 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-9037 दिनांक: 29.09.2023
 जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 168 रकबा 3.83 हेक्टेयर में से 1.76 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.92 हेक्टेयर में से 0.0525 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 207 रकबा 1.50 हेक्टेयर में से 0.0150 हेक्टेयर कुल किता-3 कुल रकबा 6.25 हेक्टेयर में से प्रभावित रकबा 2.3 हेक्टेयर भूमि 60 मीटर सेक्टर रोड हेतु खातेदार/खातेदारों श्री अशोक, ओम प्रकाश, कैलाशचन्द्र, राजेन्द्र, श्रवणलाल, सतेन्द्र, सुन्दरलाल पुत्रान श्री भगवता निवासीगण मीणों का महील्ला, नीर सागर कॉलोनी, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर (राज.) द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
 समी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/बाद-विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-12 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-9032 दिनांक: 29.09.2023
 जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ग्राम भांकरोटा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 180 रकबा 0.3600- हेक्टेयर में से प्रभावित रकबा 0.2218 हेक्टेयर भूमि 60 मीटर सेक्टर रोड हेतु खातेदार/खातेदारों श्री गोपाल लाल लादराम, हनुमान साहाय, कानुनराम पुत्रान स्व. श्री श्रवण लाल निवासी निवासीगण ढाणी, कुंघवाली, पोस्ट भांकरोटा, वार्ड नं. - 65, अजमेर रोड, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
 समी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / बाद-विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-12 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।